

संख्या 04/2/2019-कल्याण

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

-----

दूसरा तल, जीवन दीप भवन,  
संसद मार्ग, नई दिल्ली,  
19 फरवरी, 2019

सेवा में,

1. वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, कफ परेड, मुम्बई-400005.
2. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मुम्बई।
3. मुख्य महाप्रबंधक (एचआरडीडी), भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई।
4. अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), प्रधान कार्यालय, हैदराबाद।
5. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), प्रधान कार्यालय, दिल्ली।

विषय: केन्द्र सरकार के पदों/सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित आरक्षण के आदेशों को लागू करने के लिए सम्पर्क अधिकारी के नामांकन के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में अलग सम्पर्क अधिकारी के नामांकन के लिए डीओपीटी के प्रत्येक मसौदा का.जा. की प्रतिलिपि के साथ, डीओपीटी के दिनांक 15.1.2019 के का.जा.सं. 36034/1/2013-स्था.(आ.) तथा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के दिनांक 19.12.2018 के का.जा.सं. 28(195)2017/डी(आ.-I) की प्रति इसके साथ अग्रसारित करने का निदेश हुआ है।

2. संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डीओपीटी के प्रस्ताव की जांच करने तथा प्राथमिकता के आधार पर इस विभाग को टिप्पणियां दिनांक 28.2.2019 तक उपलब्ध करने का अनुरोध किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक:यथोक्त

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव (स्थापना), वित्तीय सेवाएं विभाग को भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में अलग सम्पर्क अधिकारी के नामांकन के लिए डीओपीटी के प्रत्येक मसौदा का.जा. की प्रतिलिपि के साथ, डीओपीटी के दिनांक 15.1.2019 के का.जा.सं. 36034/1/2013-स्था.(आ.) तथा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के दिनांक 19.12.2018 के का.जा.सं. 28(195)2017/डी(रेस-I) की प्रति तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार